


क्रमांक एफ.14(13)(37)बी.आर.ए.पी/श्रम/विधि/2020 26218

दिनांक 16.12.2020


परिपत्र

बिजनेस रिफोर्म एक्शन प्लान 2020 (BRAP-20) के तहत Ease of Doing Business (EoDB) के निर्धारित मानदण्डों की पालना को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत नियम-14 में ठेकेदारों को जारी लाईसेन्स के नवीनीकरण के कार्य में सरलता के लिए अब श्रम विभाग की विभागीय वेबसाइट पर Auto Renewal व्यवस्था लागू की गई है। जिसके अन्तर्गत नवीनीकरण हेतु आवेदन बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के ऑनलाईन प्राप्त किया जायेगा। वेब एप्लीकेशन पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व में संग्रहित डाटा के आधार पर निर्धारित नवीनीकरण शुल्क जमा करने पर स्वतः ही लाईसेन्स का नवीनीकरण हो जायेगा तथा संबंधित व्यक्ति/ठेकेदार नवीनीकृत लाईसेन्स की प्रति ले सकेगा।

  
(पतजलि भू)  
अतिरिक्त श्रम आयुक्त  
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ.14(13)(37)बी.आर.ए.पी/श्रम/विधि/2020 26219-55 दिनांक 16.12.2020  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय श्रम राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, समस्त।

  
अतिरिक्त श्रम आयुक्त  
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव  
राजस्थान जयपुर।